न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी — अभिलाषा आरएएस

मुकदमा नम्बर — 17 / 2021

1. दलीपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जरिये मुख्यतयार सन्दीप पुत्र देवीसिंह जाति कुम्हार निवासी मुजादपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा।
2. देवीसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जरिये मुख्यतयार सन्दीप पुत्र देवीसिंह जाति कुम्हार निवासी मुजादपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा।
3. भगवानसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जरिये मुख्यतयार सन्दीप पुत्र देवीसिंह जाति कुम्हार निवासी मुजादपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा।
4. मोहन पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत निवासी अड़ूका तहसील सूरजगढ़ जरिये मुख्यतयार सन्दीप पुत्र देवीसिंह जाति कुम्हार निवासी मुजादपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा।

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरियें तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुंनू

——————अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी की ओर से — श्री रामेश्वरदयाल एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से — स्वयं तहसीलदार सूरजगढ उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय :— 05.07.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:53 IST
Reason: SelfAttested

(1) प्राथी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवे[illegible]क[illegible] है कि—

1. यह है कि ग्राम अड़ूका पटवा[illegible] सरहद में खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.2[illegible] है किता 2 कुल रक[illegible]05 है. प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार शांति पूर्वक काबिज काश्त है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

2. यह कि प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. भूमि का सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार सूरजगढ का आवेदन किया था। प्रार्थीगण के आवेदन पर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. का सीमाज्ञान आदेश क्रमांक भू.अ. / सीमाज्ञान / 2021 / 01 दिनांक 22.02.2021 को पटवार हल्का अडूका को आदेश दिया कि पक्षकारान की मौजूदगीं में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाज्ञान की रिपोर्ट मौके पर तैयार करवाई जावे। पटवारी हल्का अडूका ने दिनांक 24.02.2021 को सीमाज्ञान मौके पर प्रार्थी और आस पडौस के लोगो की मौजूदगीं में किया गया। मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई।

3. प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि के चारो दिशाओं में पत्थरगढी करवाना चाहता है। ताकि भविष्य में खेत के पडौसियों से सीमा बाबत किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. का विधिवत नाप करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम कर के पत्थरगढी करवाना चाहता है।

(2) प्रार्थी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. ग्राम अडूका पटवार हल्का अडूका में स्थित भूमि की पत्थरगढी का आदेश किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की कृषि भूमि का विधिवत् पत्थरगढी करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी की सम्यक तामिल हुई। तहसीलदार स्वयं उपस्थित हुए।

(3). प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–77, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 24.02.2021, नकल नक्शा ट्रेश, मुख्यतयारनामा की फोटो प्रति, जमांबदी सं. 2074–77 खाता सं. 446 ग्राम अडूका, जमांबदी सं. 2074–77 खाता सं. 465 ग्राम अडूका, जमांबदी सं. 2074–77 खाता सं. 113 ग्राम अडूका, जमांबदी सं. 2074–77 खाता सं. 126 ग्राम अडूका, नकल नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 345, 866 / 94 के आसपास के अन्य खसरा नम्बरो का पेश किये गये।

(4) अप्रार्थी तहसीलदार सूरजगढ ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है कि–

1. यह कि ग्राम अडूका के खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866 / 94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. की खातेदारी वर्तमान में दलीपीसिंह, देवीसिंह,भगवानसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रान ... सिंह ब.हि.ब जाति राजपुत सा.देह के नाम से है। मौके पर पत्थर ... है।
2. उक्त वर्णित भूमि पर रिकार्ड का कोई विवाद नही है।
3. उक्त वर्णित भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन रिकार्ड में दर्ज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

4. उक्त वर्णित भूमि मौके पर कोई निर्माण नही है। यह भूमि खाली पुरानी पड़त है। उक्त भूमि कृषि उपयोग में नही आ रही है।

5. यह भूमि के पास के खसरा नम्बरो के खातेदारो से विवाद नही है।

(5). बहस सुनी गई।

(1) **प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस रही कि–** ग्राम अड़ूका के खसरा नम्बर 345 रकबा 5.82 है., खसरा नम्बर 866/94 रकबा 7.23 है किता 2 कुल रकबा 13.05 है. की खातेदारी वर्तमान में दलीपीसिंह, देवीसिंह,भगवानसिंह, मोहनसिंह पुत्रान रघुवीरसिंह ब.हि.ब जाति राजपुत सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। खसरा नम्बर 345 व 866/94 के तीन तरफ सरकारी भूमि है तथा एक तरफ प्रार्थीगण की स्वयं की भूमि है। जिससे पडौस के खातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। सरकारी भूमि के लिए तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है। चूंकि तहसीलदार सूरजगढ के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/ 2021/01 दिनांक 22.02.2021 की पालना में पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 22.02.2021 को शांतिपूर्वक सीमाज्ञान करवाया गया है। जिस पर किसी प्रकार को विवाद नही है।

1. (2) **अप्रार्थी तहसीलदार की स्वयं की बहस रही कि–** तहसीलदार सूरजगढ न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर स्वयं ने बहस में कहां कि मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार को कोई विवाद नही है। पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2021 को मौके पर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पुख्ता चिन्ह करवाना चाहता है। जिससे हमे कोई आपत्ति नही है। मौके पर पड़त के रूप में पड़ी है। आराजी मुतनाजा पर रिकार्ड का कोई विवाद नही है। भूमि पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन रिकार्ड में दर्ज नही है। भूमि मौके पर कोई निर्माण नही है। भूमि खाली पुरानी पड़त है। उक्त भूमि कृषि उपयोग में नही आ रही है। भूमि के आस पास के खसरा नम्बरो के खातेदारो से कोई विवाद नही है।

(6). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर स्वयं ने बहस की गई। तहसीलदार सूरजगढ ने अपनी बहस में कहां की मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार को कोई विवाद नही है। पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2021 को मौके पर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में पुख्ता चिन्ह करवाना चाहता है। जिससे हमे कोई आपत्ति नही है। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। [illegible] सुरक्षा, संरक्षा का प्रार्थी का अधिकर है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2021 [illegible] सूरजगढ के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया [illegible] जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, [illegible] लिए पुनः सीमाज्ञान कर सीमाज्ञान के सम्यक् उपरान्त पत्थरगढी किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:33:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ